न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/21 वाद GCMS NO : 2021/00056
पूर्व प्रकरण संख्या : 117/15

1. केसरपुरी पिता हुकुमपुरी गोस्वामी मृतक के बजायः–
   1/1. गणेशी बाई पत्नि स्व. केसरपुरी गोस्वामी, निवासी– 783, गली नं0 2, पुला, फतहपुरा, उदयपुर
   1/2. लक्ष्मणपुरी पिता स्व. केसरपुरी गोस्वामी, निवासी–687, शिव मन्दिर के पास, पुला, फतहपुरा, उदयपुर
   1/3. उंकारपुरी पिता स्व. केसरपुरी गोस्वामी, मृतक के बजाय :–
      1/3/1. मधुदेवी पत्नि स्व. उंकार गोस्वामी, निवासी–नियर शिव मंदिर पुला, उदयपुर
      1/3/2. खुशवन्तपुरी पिता स्व. उंकार गोस्वामी, निवासी–नियर शिव मंदिर पुला, उदयपुर
      1/3/3. प्रीति गोस्वामी पिता स्व. उंकार गोस्वामी, निवासी–नियर शिव मंदिर पुला, उदयपुर
   1/4. उकारपुरी पिता स्व. केसरपुरी गोस्वामी, निवासी–687, शिव मन्दिर के पास, पुला, फतहपुरा, उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री पुरूषोत्तम पुरी अधिवक्ता वादी
श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 08.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है राजस्व ग्राम झामर कोटड़ा, तहसील गिर्वा उदयपुर में खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1173, 1693, 1694, 1698 कुल रकबा 8 बीघा जिसके हाल नम्बर 3297 रकबा 0.5500 हैक्टयर, 3298 रकबा 0.0750 हैक्टयर, 3299 रकबा 0.1200 हैक्टयर, 3314/3447 रकबा 0.4300 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1750 हैक्टयर है। उक्त भूमि में जो गत पैमाईश से नई पैमाईश से दर्ज की है उसमें रेकार्ड अनुसार 0.5530 एयर भूमि वादी के खाते से कम दर्ज हुई होकर उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गई है। वादी के खाते में उक्त भूमि पैमाईश के दरमियान में राजस्व कर्मचारियों द्वारा कम दर्ज की जाकर शेष भूमि बिनालान दर्ज कर दी गई है। उक्त भूमि पर सदीप से कब्जा होकर भूमि को काफी आबादान किया गया है व उस पर काफी लागत वादी द्वारा लगाई जा चुकी है व कोट कर भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बना रखी है। वादी ने धारा 80 जाब्ता दीवानी के तहत् सूचना–पत्र दिनांक 23.10.2004 को जारी कर प्रतिवादीगण को वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती कर इन्द्राज करने हेतु निवेदन किया गया, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। अतः निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में जो रकबा 0.5530 एयर भूमि वादी के नाम कम दर्ज हुई है उसे वादी के खाते पुनः दर्ज की जाकर वादी को सम्पर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि पूर्व कब्जे अनुसार ही भूमि वादी के खाते दर्ज की गई है जो उचित है। अतः वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र, जवाबदावा के आधार पर दिनांक 25.07.07 को न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादग्रस्त आराजी भूमि वादी के खाते कम दर्ज कर द गई है जो शेष कब्जा रहा उसे वादी के खाते कराने का अधिकारी है ?

.....वादीगण

2. आया रेकार्ड अनुसार 0.5330 हैक्टयर भूमि वादी के खाते कम दर्ज हुई उसे दर्ज की जावे ?

.....वादीगण

3. अनुतोष।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 केशरपुरी, PW2 प्रकाशचन्द्र व PW3 रामगिरी के ब्यान कलमबद्ध किए गए। दस्तावेज साक्ष्य में नकल जमाबन्दी ग्राम झामरकोटड़ा तहसील गिर्वा संवत् 2029 से 32 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1, भू–प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 व 3 की प्रमाणित प्रति, ग्राम झामरकोटड़ा की नामान्तरण पंजिका की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–4, नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी धारा 80 जा0दी0 की प्रति प्रदर्श–5, ग्राम झामरकोटड़ा की नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 खाता संख्या 22 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–6 है। वादी PW1 साक्ष्य केशरपुरी द्वारा अपने ब्यानों मे ंकथन किया गया कि मुझे कुराबड़ कैम्प में 8 बीघा जमीन का आवंटित हुई है। भूमि मगरी एवं हकत दोनो ही है। मैंने दावे के साथ गिरदावरी की नकलें नहीं लगाई है। मैनें कमी रकबा पुनः दर्ज करने का दावा पेश किया है परन्तु कमी रकबा कितना है मुझे पता नहीं है। वादी द्वारा ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य वादी अवसर बंद किया जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी साक्ष्य में साक्ष्य DW1 प्रकाश चन्द्र पिता अम्बालाल आमेटा पटवारी हल्का झामरकोटड़ा उपस्थित हुए। वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। ब्यानकलम् किए जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उक्त वाद माननीय सहायक कलक्टर गिर्वा न्यायालय से दिनांक 27.01.2009 को अस्वीकार किया गया। लेकिन उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के यहा अपील की गई। तत्पश्चात् प्रकरण रिमाण्ड होकर पुनः न्यायाल हाजा को प्राप्त हुआ। न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर तहसीलदार गिर्वा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसके आधार पर विवेचन किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात साबिक आराजी संख्या 1173, 1693, 1694, 1698 कुल रकबा 8 बीघा जिसके हाल नम्बर 3297 रकबा 0.5500 हैक्टयर, 3298 रकबा 0.0750 हैक्टयर, 3299 रकबा 0.1200 हैक्टयर, 3314/3447 रकबा 0.4300 हैक्टयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.1750 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमें गत पैमाईश से नई पैमाईश के दौरान रेकार्ड अनुसार 0.5530 एयर भूमि वादी के खाते से कम दर्ज हुई होकर उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हो गई है। जिसे वादी के खाते पुनः दर्ज की जाकर वादी को सम्पर्ण आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। दौराने बहस प्रतिवादी राजकीय अधिवक्ता द्वारा वादी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि वादी का जितनी भूमि पर कब्जा था वह उसके खाते दर्ज की जा चुकी है। वादग्रस्त भूमि के हाल आराजी नम्बर पूर्व साबिक नम्बर के अनुसार एवं वादी के कब्जा काश्त अनुसार ही भूमि वादी के खाते दर्ज है। जिससे वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेजो एवं प्रस्तुत बहस के आधार पर प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. आया वादग्रस्त आराजी भूमि वादी के खाते कम दर्ज कर द गई है जो शेष कब्जा रहा उसे वादी के खाते कराने का अधिकारी है ?

......वादीगण

- तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 4 नामान्तरण जिसमें आराजी संख्या 1173, 1692, 1694, 1698 रकबा 8 बीघा भुमि वादी को आवंटित होना प्रमाणित हुआ है। नामान्तरण के आधार पर वादी का नाम जमाबन्दी सवंत् 2029 से 2032 में रकबा 8 बीघा गैर खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड हुआ जो प्रदर्श–1 है। इसी तरह प्रदर्श–2 व 3 भू प्रबन्ध विभाग का मिलान क्षेत्रफल पेश किया जिसके अनुसार वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर के हाल नम्बर 3297, 3298, 3299, 3314/3447 रकबा 1.1750 होना प्रतीत होता है। वादग्रस्त साबिक भूमि के हाल नम्बर पूर्व साबिक नम्बर अनुसार ही दर्ज हुआ है। प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1193, 1692, 1694 संयुक्त रूप से हाल नम्बर 3294 रकबा 10.9500 हैक्टर बनना अंकित है। तहसीलदार गिर्वा द्वारा दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार बताया कि आराजी नम्बर 3297 से 3299 पर जाने हेतु आराजी संख्या 3294 रकबा 10.9500 हैक्टयर किस्म मगरी मौके पर कच्चा रास्ता उपल्बध है। चुकि वादी को इस तनकी में यह सिद्ध करना था कि वादी की कम हुई भूमि खसरा नम्बर 3294 में है। हमने राजस्व रेकार्ड का अध्ययन किया वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070 से 2074 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2022) से स्थायी ग्राम झामरकोटड़ा पटवार मण्डल झामरकोटड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जगत तहसील कुराबड़ के खाता संख्या 1 में आराजी नम्बर 3294 रकबा 10.9500 हैक्टयर जिसकी किस्म मगरी है। वादी द्वारा अपने दावे को सिद्ध करने में क्रमानुक्रम से कोई गिरदावरी रिपोर्ट पेश नहीं की है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी का आराजी नम्बर 3294 रकबा 10.9500 हैक्टयर पर कोई कृषि कार्य किया हो। विद्वान न्यायालय का अभिमत है कि आराजी नम्बर 3294 रकबा 10.9500 हैक्टयर किस्म मगरी है, जो वर्तमान में खाता संख्या 1 में दर्ज है। भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा पूर्व साबिक नम्बर 1193, 1692, 1694, 1198 कुल रकबा 8 बीघा जिसकी किस्म पहाड़ है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल नये नम्बर 3297, 3298, 3299, 3314/3447 रकबा 1.1750 जिनकी किस्म हकत तृतीय है एवम् 1194 की किस्म पहाड़ है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णयों में जिसमें नरेन्द्र कुमार बनाम हकरन और अन्य, आर.आर.टी. 2022 (1) 507 एवं धन्ना और अन्य बनाम हंगामीलाल और अन्य, 2022(1)(सु.को.) 1430, भोरया बनाम सोमोटिया व अन्य, आर.आर.टी. 2021(1)(सु.को.) 516 है, जिसमें प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः वादी यह सिद्ध नहीं कर पाया कि 3294 में शामिल कुल भूमि में वादी का भी हिस्सा है। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा ना ही ऐसा कोई प्रमाण दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि आराजी नम्बर 3294 के [illegible] में वादी का हिस्सा जो हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

कम हुआ है वह है। इस सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही करने के कारण तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

2. आया रेकार्ड अनुसार 0.5530 हैक्टयर भूमि वादी के खाते कम दर्ज हुई उसे दर्ज की जावे ?

.....वादीगण

- उक्त तनकी संख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है, चूंकि तनकी संख्या 1 में वादीगण साबित कराने में असफल हुए है जिसमें वादी द्वारा वाद में किए गए कथन अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की साबिक आराजी में से भू–प्रबन्ध के बाद कुल भुमि में से 0.5530 वर्ग मीटर कम होकर आराजी नम्बर 3294 में दर्ज है। वर्तमान में आराजी नम्बर बिलानाम सरकार दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है एवम् उसकी किस्म मगरी है। वादी तनकी संख्या 1 उनके विरूद्ध तय होने से उक्त तनकी संख्या 2 भी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्तविवेचन अनुसार न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वर्तमान में वादी के हक हिस्से कब्जे में कुल भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 3297, 3298, 3299, 3314/3447 रकबा 1.1750 हैक्टयर है। वादी द्वारा साबिक नम्बर की तुलना में अपनी कुल भूमि का 0.5530 भूमि कम होना अंकित बताया और कहा कि वह खाता संख्या 1 के आराजी नम्बर 3294 के रकबा 10.9500 हैक्टयर में से 0.5500 हैक्टयर भूमि अपने नाम खातेदारी अधिकारी की घोषणा कराना चाहता है। आराजी नम्बर 3294 रकबा 10.9500 हैक्टयर जिसकी किस्म मगरी है। अतः वाद में गठित दोनों तनकी वादी के विरूद्ध सिद्ध हुई है। वादी अपने वाद में दस्तावेज साक्ष्य सबूतो एवं ग्वाहान् इत्यादि से यह सिद्ध नहीं कर पाया कि आराजी नम्बर 3294 रकबा 10.9500 हैक्टयर भूमि में वादी का 0.5530 हैक्टयर भूमि उसकी खातेदारी की है। वादग्रस्त भूमि की किस्म मगरी है जो खाता संख्या 1 में दर्ज होकर बिलानाम सरकार दर्ज है। वादी अपने दावे को सिद्ध करने में पूर्णत असफल रहे है एवम् वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय होने से वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 14/21 सन 2021 अनवान (1) केसरपुरी पिता हुकुमपुरी गोस्वामी मृतक के बजायः–(1/1) गणेशी बाई पत्नि स्व. केसरपुरी गोस्वामी, निवासी– 783, गली नं0 2, पुला, फतहपुरा, उदयपुर (1/2) लक्ष्मणपुरी पिता स्व. केसरपुरी गोस्वामी, निवासी–687, शिव मन्दिर के पास, पुला, फतहपुरा, उदयपुर 1/3. उंकारपुरी पिता स्व. केसरपुरी गोस्वामी, मृतक के बजाय :–(1/3/1) मधुदेवी पत्नि स्व. उंकार गोस्वामी, निवासी–नियर शिव मंदिर पुला, उदयपुर (1/3/2) खुशवन्तपुरी पिता स्व. उंकार गोस्वामी, निवासी–नियर शिव मंदिर पुला, उदयपुर (1/3/3) प्रीति गोस्वामी पिता स्व. उंकार गोस्वामी, निवासी–नियर शिव मंदिर पुला, उदयपुर (1/4) उकारपुरी पिता स्व. केसरपुरी गोस्वामी, निवासी–687, शिव मन्दिर के पास, पुला, फतहपुरा, उदयपुर बनाम (1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री पुरूषात्तम पुरी अधिवक्ता वादीगण एवं श्री कल्पित जैन राजकीय अधिक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध तय होने से वादी का वाद सिद्ध नहीं होने से अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा ..... को दी जाए।

यह आज तारीख .....माह .....सन् ..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.28 10:42:39 IST
Reason: SelfAttested